

FORM No. III

APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खीवसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

परसाराम बनाम रूगनाथसिंह वगैराह

नं. 68 सन्. 2019.

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
05.07.2019	<p>प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया।</p> <p>वकील प्रार्थी ने उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने से पूर्व हमें एक पक्षीय सुना जावे। अतः वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजूद रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थी अनुसार वादग्रस्त भूमि ख.न. 185 रकबा 05.10 बीघा प्रार्थी का खातेदारी खेत है</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी पेशी तक बहक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा भेड़ के वादग्रस्त खेत ख.न. 185 रकबा 05.10 बीघा, ख.न. 897/188 रकबा 01.15 बीघा वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी की उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण स्वयं या अन्य से दखलदांजी,निर्माण इत्यादि ना करे एवं न करावे और मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति रखी जावे।</p> <p><u>नोट:- उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा DILRMP पर प्रभावी नहीं होगी एवं सीपीसी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज मान्य होगी।, उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगी।</u></p> <p>अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे अप्रार्थीगण असागतन या वकालतन जरीये जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मिशाल वास्ते जबाब हेतु दिनांक 14.08.2019 पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">82 सहायक कलक्टर खीवसर</p> <p>14.8.19 उपरोक्त पेशी वकील - प्रार्थी - उपरोक्त प्रार्थी के मोहल - वकालत - अमल के पेश करते - 12 मि.टी. अमल - अमल 23.10.19 सहायक कलक्टर (S.D.O.), खीवसर</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/12/22 पत्रकारान क ओघेववता

मिठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/समय/स्थानान्तरण हो चुका है/विकास पर गये हुए पत्रावली भागामी दिनांक को 25/12/22 को प्रेषित।

25/12/22

पत्रावली प्रेषित हुई।
मिठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/समय/स्थानान्तरण हो चुका है/विकास पर गये हुए पत्रावली भागामी दिनांक को 24/8/22 को प्रेषित।

24.8.22

पत्रावली प्रेषित करके उचित प्रतिक्रिया के लिये प्रेषित करके, दिनांक 09/25 को तब तक प्रेषित की जायेगी पत्रावली दिनांक 30.8.22 को प्रेषित करे।

सहायक कलेक्टर (SDO), खीवसर

30/8/22

पत्रावली प्रेषित हुई।
मिठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/समय/स्थानान्तरण हो चुका है/विकास पर गये हुए पत्रावली भागामी दिनांक को 5/12/22 को प्रेषित।

6/12/22

पत्रावली प्रेषित। वसुलागत उप-कादी रूप प्रसिवादी को न्योमात्रण में धार-धार-आवाज दिलावामी जमी, मगर मर-हाजिर। धार-धार मावाज देन के वात मी कौरे मी (कादी-प्रसिवादीगत) न्याय धार में उपस्थित नही हुआ 5/12/22-इसके विरुद्ध एक पत्रावली कार्यवाही

मिठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/समय/स्थानान्तरण हो चुका है/विकास पर गये हुए पत्रावली भागामी दिनांक को 24/8/22 को प्रेषित।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

अमल में लानी जारी है। वकीलवारी-की निवेदन कर अज्ञान गले हुक्म में इस प्रकार/पत्रावली में प्रेषित नही हुआ जा रहा है इस प्रकार को स्वार्थि रचना का हुक्म: वकीलवारी के निवेदन पर उक्त प्रकरण में अज्ञान प्रेषित- हुक्म जारी में स्वार्थि रचना जात है। वादी के निवेदन पर पुन Restore का Reopen किया जा उक्त है।

पत्रावली फेशल सुमार मौर, मरुवा दे मम होकर बाद जाला तारिकल उपरर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO), खीवसर

7/12/22